संख्या- 80/2019/2865/71-1-2019-जी-401/2013

प्रेषक,

अमित सिंह बंसल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 27 सितम्बर, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में निर्माणाधीन 100 सीटेड ब्वायज स्नातकोत्तर छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2018-19/670, दिनॉक 11-01-2019 के संदर्भ में अवगत कराना है कि मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 100 सीटेड ब्वायज स्नातकोत्तर छात्रावास के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा आकलित लागत रू0 979.96 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष रू0 361.56 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-26/2016/2509/71-1-2015-जी-401/2013, दिनॉक 26.02.2016 द्वारा प्रदान की गई है। शासनादेश संख्या-11/2018/207/71-1-2018-जी-401/2013, दिनॉक 30.01.2018 द्वारा रू0 300.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-85/2018/1163/71-1-2018-जी-401/2013, दिनॉक 30.03.2018 द्वारा रू0 318.40 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु अब तक कुल रू0 979.96 लाख धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। पुन: व्यय वित्त समिति द्वारा आकलित पुनरीक्षित लागत रू0 1325.24 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-79/2019/2198/71-1-2019-जी-401/2013, दिनॉक 27.09.2019 द्वारा प्रदान की गई।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 100 सीटेड ब्वायज स्नातकोत्तर छात्रावास के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 1000.00 में से रू0 2,79,02,000/- (रू0 दो करोड़ उन्यासी लाख दो हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

1- प्रायोजनान्तर्गत वाह्य स्थल विकास मद में 6193.35 घ0मी0 मिट्टी भराई हेतु रू0 26.44 लाख प्रस्तावित की गयी है, जो कि जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति से संस्तुत न होने के कारण प्रभाग द्वारा फिलहाल रू0 5.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। शेष मिट्टी जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की संस्तुति के आधार पर देय होगी।

2- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित लिफ्ट एवं फर्नीचर कार्य बाट आउट श्रेणी में होने के कारण नियमानुसार सेन्टेज चार्ज अनुमन्य नहीं किया गया है। इनके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं को प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करे। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।

3- प्रभाग द्वारा लागत आंकलन में रू0 183.59 लाख पर प्रस्तावित रू0 10.65 लाख सर्विस टैक्स को अनुमन्य किया गया है। अवशेष लागत में प्रस्तावित जी0एस0टी0 अनुमन्य नहीं किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित लागत में जी0एस0टी0 सम्मिलित थी, प्रभाग द्वारा अनुमोदित लागत में जी0एस0टी0 अनुमन्य नहीं की गयी है। जी0एस0टी0 की धनराशि यथावश्यक कार्यमदों पर नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर देय होगी। तद्नुसार जी0एस0टी0 की लागत हेतु प्रायोजना का पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रभाग के समक्ष जाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

5- प्रश्नगत पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव आगणन में पूर्ण किये जा चुके कार्यो की मात्राओं एवं इनकी प्राप्त भौतिक प्रगति का समस्त उत्तरदायित्व महानिदेशक/कार्यदायी संस्था का होगा।

6- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत् मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/महानिदेशक को होगा।

7- प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाये।

8- पुनरीक्षित प्रायोजना में वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रू0 2.00 लाख एकमुश्त आधार पर प्रस्तावित किया गया है, जिसे प्रभाग द्वारा यथावत् अनुमन्य कर लागत का आंकलन किया गया है। प्रभाग का मत है कि इसका विस्तृत आगणन वास्तविकता के आधार पर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन से प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

9- प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहींकिया जायेगा।

10- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

11- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

12- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

13- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

14- आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

15- प्रायोजना के कार्यान्वयन हेतु कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य /कार्यदायी संस्था की होगी।

16- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

17- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22-03-2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-43-मेडिकल कालेज, गोरखपुर-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनॉक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(अमित सिंह बंसल)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:- 80/2019/2865(1)/71-1-2019 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
6- निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्प्लेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
7- नियोजन-अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।